>

Title: Need to amend rule LTC-80 to give relaxation to Government employees for Andaman and Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, भारत सरकार ने एलटीसी रूल्स, 1988 के मुताबिक करीब-करीब पचास लाख केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को रूल्स रिलैक्स करके नॉर्थ ईस्ट और जम्मू-कश्मीर को होम टाउन के बदले एलटीसी की सुविधा देने की घोषणा कर दी। इस मुताबिक एक सरकारी कर्मचारी को चार साल में दो बार या तो भारत में घूमने के लिए या फिर होम टाउन में घूमने की सुविधा है। इसमें सरकार ने होम टाउन के बदले नॉर्थ ईस्ट या जम्मू-कश्मीर घूमने के लिए रूल्स में रिलैक्सेशन किया। यह अच्छा कदम है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी के पश्चात् हालत बहुत बुरी हो गयी है। बेरोजगारी अधिक है। खेत डूबे पड़े हैं। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल के दर्शन करना सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत जरूरी है। करप्शन पर अंकुश लगाने हेतु जहां से देश प्रेम की गाथा आई, वहां लोग घूमेंगे तो उनके दिल में भी वह भावना आएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तमिल, तेलुगू, हिन्दू, मुस्लिम, इसाई आदि में जात-पात का कोई भाव नहीं है। वहां जाने से सरकारी कर्मचारियों को इस तरह की भावना के दर्शन होंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एलटीसी-80 रूल में अमेंडमेंट करते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह को जम्मू-कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के साथ-साथ इसमें शामिल किया जाए।